

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- महाराजगंजकिशोरी को बहला-फूसलाकर दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 26.07.22 को उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 194/21 धारा 363,366,376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त विमलेश यादव पुत्र लालमन यादव साकिन अराजी अमानी थाना महाराजगंज आजमगढ़ को शिवपुर बाजार के पास से समय करीब 09.30. बजे सुबह मे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 194/21 धारा 363,366,376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना महाराजगंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- उपरोक्त मुकदमागिरफ्तार अभियुक्त -

विमलेश यादव पुत्र लालमन यादव साकिन अराजी अमानी थाना महाराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराह का0 अभिषेक राय व का0 मिथिलेश पासवान थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

थाना- निजामाबाद

छेड़खानी व मारपीट के अभियोग में नामजद 02 अभियुक्त गिरफ्तार

1-पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण - दिनांक 14.07.2022 को वादी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि वादी के चाची के साथ विपक्षी द्वारा अश्लील बातें करना व छेड़खानी करना तथा मना करने पर मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 309/22 धारा- 323/504/506/455/354/354घ(1)/34 भादवि बनाम रुस्तम पुत्र इजहारूलहक आदि 07 नफर का अभियोग पंजीकृत कराया गया।

2. गिरफ्तारी का विवरण - दिनांक- 26.07.2022 को उ0नि0 अशोक दत्त त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. अलीम पुत्र मुस्लिम निवासी फराहाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़, 2. तनवीर उर्फ रुस्तम पुत्र इजहारूलहक निवासी फराहाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को सेन्टरवा मोड़ के पास से समय 10.10 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग -

309/22 धारा- 323/504/506/455/354/354घ(1)/34 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास - उपरोक्त अभियोगगिरफ्तार अभियुक्त-

1. अलीम पुत्र मुस्लिम निवासी फराहाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़,
2. तनवीर उर्फ रुस्तम पुत्र इजहारूलहक निवासी फराहाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 अशोक दत्त त्रिपाठी का0 धर्मेन्द्र कुमार का0 कमलेश कुमार थाना निजामाबाद, आजमगढ़

थाना- मेंहनगर

गैंगस्टर एक्ट में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- दिनांक 12.06.202 को वादी राजेश सिंह पुत्र रामचेत सिंह सा0 रामपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि विपक्षी अंकित सिंह पुत्र उमेश सिंह सा 0रामपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ द्वारा पोखरे की जमीन को अवैध कब्जेदारी की विवाद को लेकर गिरोह बनाकर वादी के भाई अजीत सिंह को जान मारने के नियत से क्रूरता पूर्वक चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 122/22 धारा 302/307/504/506/34 भादवि 4/25 आर्म्स एक्ट वनाम 1. राहुल सिंह पुत्र हरिवंश सिंह 2. अजीत सिंह पुत्र यदुनाथ सिंह 3 अंकित सिंह पुत्र उमेश सिंह 4. शैलेश सिंह उर्फ मिन्टू सिंह साकिनान रामपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ के पंजीकृत कर बाद विवेचना आरोप पत्र मा0 न्याया0 12.8.21 को प्रेषित किया गया, अभियुक्त उपरोक्त एक अभ्यस्त किस्म के अपराधी है जिनका एक

सुसंगठित गिरोह है जो आर्थिक, भौतिक तथा बुनियादी लाभ के लिए अपराध कारित करते हैं। जनहित व अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 241/22 धारा 3(1) यू0पी0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधि0 के तहत अभियोग दर्ज किया गया है प्राम्भिक विवेचक उ0नि0 सुभाष तिवारी द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी की विवरण – दिनांक- 26.07.2022 को थानाध्यक्ष बसन्त लाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अंकित सिंह पुत्र उमेश सिंह सा0 रामपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ को अभियुक्त के घर पर दविश देकर समय करीब 13.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का स्थान– अभियुक्त का घर बहद ग्राम रामपुर. समय 13.20 बजे

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 241/22 धारा 3(1) यू0पी. गैंगस्टर एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 122/22 धारा 302/307/504/506/34 भादवि 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 241/22 धारा 3(1) यू0पी. गैंगस्टर एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. अंकित सिंह पुत्र उमेश सिंह सा0 रामपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष बसन्तलाल, का0 हिमान्शु गिरी , का0 सोनू यादव, का0 हीरालाल, म0का0 सुप्रिया राय का0 पवन कुमार यादव थाना मेंहनगर आजमगढ़

थाना- निजामाबाद

चेकिंग के दौरान तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 26.7.2022 को उ0नि0 श्री नवल किशोर सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र फरिहा कस्बा मे मौजूद थे कि चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति अवैध शस्त्र लेकर फरिहा देशी शराब की दुकान के पास खड़े व्यक्ति को हमराही कर्मचारीगण की मदद से पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया तो अपना नाम मु0 इम्तियाज पुत्र मु0 सईद सा0 फैजुल्लापुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ बताया। जामा तलाशी एक अदद कट्टा व एक अदद कारतूस बरामद हुआ जिसे निकाला गया अभियुक्त का यह कार्य धारा 3/ 25 A Act का अपराध पाकर कारण गि0 बताकर अभियुक्त को समय 10:40 बजे हिरासत में तथा बरामदशुदा कट्टा व कारतूस को कब्जा पुलिस मे लिया गया। तथा अभियुक्त का चालान मा0न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 324/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास – मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

मु0 इम्तियाज पुत्र मु0 सईद निवासी फैजुल्लापुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी -

एक अदद तमन्चा 315 बोर व 01 अदद कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री नवल किशोर सिंह थाना निजामाबाद, आजमगढ़

2. हे0का0 शिवधन थाना निजामाबाद, आजमगढ़

2. का0 मकरध्वज थाना निजामाबाद आजमगढ़

4. का0 विक्रम मौर्य थाना निजामाबाद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

आज दिनांक- 26.07.2022 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0- 04/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) आजमगढ़ द्वारा थाना सिधारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 178,179 व 180 सन् 1997 अंतर्गत धारा 3(1) उ0 प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलापा (निवारण) अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त 1. रामविलास मौर्य मधुबन मौर्य, 2. साधू यादव पुत्र खुशी यादव, 3. विरेन्द्र यादव पुत्र रामचन्द्र यादव साकिनान बुढैठा, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 02-02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05-05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्तों द्वारा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक को 03-03 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।